न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 383 / 2008 | तारीख दायर 12–11–2008 | तारीख फैसला 23/05/2022

न :–

1. दौलाराम
2. भोलाराम पुत्रान अनूपसिंह जाति अहीर साकिन मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

––––:: वादीगण

बनाम

01. डीगराम
02. नारायण
03. नन्दलाल
04. सरजीत पुत्रान सूबराम जाति अहीरान निवासी मौसमपुर तह0 तहसील टपूकडा (अलवर)
05. हरिसिंह
06. उमराव
07. राजाराम उर्फ पप्पू पुत्रान नत्थूराम जाति अहीर निवासी मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
08. मातादीन उर्फ दीनाराम पुत्र रामजीलाल अहीर सा. चामरोदा तहसील किशनगढ बास जिला अलवर
09. तेजसिंह उर्फ लालाराम पुत्रान रामजीलाल अहीर साकिन मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
10. राज. ग्रामीण बैंक शाखा भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक

–––––:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मौसमपुर में गागूमल द दयालमल उर्फ रूपामल सिंधी को साबिक आराजी खसरा नम्बर 419 / 387 रकबा 1 बीघा के साथ गर आराजी अलोट हुई जिसके हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा पैमुद हुये है। उक्त बिक खसरा नम्बर 419 / 387 रकबा 1 बीघा दीगर आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 व मु. छोटा त्री लेखराम ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर ली, बाद में छोटा ने अपना हिस्सा फर्दन लोगों को बेच या जिनका अमल राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। वादीगण के पिता अनूपसिंह पुत्र मूलिया को साबिक ख़सरा नम्बर 386 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किमतन राज्य सरकार से जर्ये सनद कय किया जिसका हाल म्बर 393 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा बना है। भू प्रबन्ध विभाग ने वक्त सैटिलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से मिन वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 386 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 393 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा पैमुद किये जबकि हाल नम्बर 2 बीघा 5 बिस्वा रखना चाहिये, साबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी

386 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का 13 बिस्वा रकबा हाल खसरा नम्बर 394 में गलत रूप से शामिल
दिया, जबकि उक्त 13 बिस्वा रकबे से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण ने
खसरा नम्बर 387 का मात्र 1 बीघा रकबा खरीद किया है, जो उनके कब्जे में है, लेकिन राजस्व
में साबिक खसरा नम्बर 386 का 13 बिस्वा रकबा गलत तौर पर शामिल करते हुये 394 बना दियश
गलत है, काटा जाकर 394 में से 13 बिस्वा रकबा कम कर 393 में शामिल कर खसरा नम्बर
2 बीघा 5 बिस्वा घोषित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व
में वादीगण के नाम का अंकन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। उक्त गलत अंकन की बाबत
वादीगण को कतई तौर पर कोई ज्ञान नहीं था दिनांक 18.08.2008 को हम वादीगण ने हल्का पटवारी
से जमाबन्दी चाही तो उन्होने बताया कि तुम्हारा हाल खसरा नम्बर 393 में 13 बिस्वा जमीन कम है
पर हम वादीगण ने अन्य आवश्यक नकुलात हासिल कर प्रतिवादीगण से दिनांक 16.09.2008 को
हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये व आराजी को दीगर लोगों को मुन्तकिल करने की
तौर पर धमकी दी है कि जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। अतः
इजाय इस्तकरारहक बहक वादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे कि साबिक खसरा नम्बर
387 रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बने है में साबिक खसरा
386 का 13 बिस्वा रकबा गलत तौर पर शामिल किया गया है उक्त हाल खसरा नम्बर 394 में से 13
रकबा कम कर हाल खसरा नम्बर 393 में शामिल कर 1 बीघा 13 बिस्वा की बजाय 2 बीघा 5 बिस्वा
घोषित किया जावे तथा वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें
प्रतिवादीगण का 13 बिस्वा रकबा से हजफ किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी
लगायत 7 न्यायालय उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली
गया। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में
न पुत्र अनूपसिंह जाति अहीर निवासी मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर, बाबूलाल पुत्र नेतराम
अहीर निवासी ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जो शामिल पत्रावली की गई। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप
ान क्षेत्रफल संवत् 2029 (प्रदर्श – 1), बयनामा (प्रदर्श – 2), खसरा गिरदावरी (प्रदर्श – 3), खसरा
वरी (प्रदर्श – 4), सनद पट्टा 1982 दिनांक 07.08.78 (प्रदर्श – 5), अलौटमेन्ट फार्म (प्रदर्श – 6),
न्दी संवत् 2020 (प्रदर्श – 7) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र
न पुत्र खूबराम जाति अहीर निवासी ग्रा मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर, नारायण पुत्र खूबराम
अहीर निवासी ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर, नन्दलाल पुत्र खूबराम जाति अहीर
ी ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर, उमराव पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासी ग्राम
पुर तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। साबिक
जी खसरा नम्बर 386 का सनद पट्टा 1982 दिनांक 07.08.78 अनूपसिंह पुत्र मूलीया यादव निवासी

उपखण्ड अधिकारी

र को जारी किया गया था। जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2020 में भी हो रहा है। मुताबिक मिलान 2029 के साबिक आराजी खसरा नम्बर 386 का 13 बिस्वा रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 394 में किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2029 पैमुद करते समय 13 बिस्वा पर वादीगण व उसके पिता का केत नहीं किया गया। ऐसी सूरत में वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वादी की वाद डिकी किया जाकर हाल खसरा नम्बर 394 रकबा में से 13 बिस्वा पर वादीगण व 2 को खातेदार घोषित किया जाता है एवं 13 बिस्वा से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने श दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा ... राज०